उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अधिनियम, 1998

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1998]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ तथा संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 6 फरवरी, 1998 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 संन् 1998 के रूप में दिनांक 7 फरवरी, 1998 को प्रकाशित किया गया।]

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 को निरसित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

(2) यह 28 सितम्बर, 1997 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1988 का निरसन

2—उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन अयोग अधिनियम, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन

3—उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन अयोग (निरसन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।